

# आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(54)लेखा/आकाशि/स्कूटी बीमा /2019-20/ 157

दिनांक-29/5/19

## संशोधन

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रा स्कूटी योजना के तहत वितरित की जाने वाली स्कूटियों का राज्य सरकार द्वारा (ONE TIME) एक वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा कराकर छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती थी।

वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101900131 दिनांक 09.01.19 से प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में उक्त एक वर्ष के स्थान पर स्कूटियों का एक बारीय (ONE TIME) तृतीय पक्षकार बीमा पाँच वर्ष का बीमा कराये जाने का नियमों में संशोधन किया जाता है।



(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त


कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,  
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(54)लेखा/आकाशि/स्कूटी बीमा /2019-20/ 158-63

दिनांक-29/5/19

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
- 3- संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
- 4- समस्त जिला नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
- 5- समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
- 6- वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

  
(एन.एल. शर्मा)  
वित्तीय सलाहकार